

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शंभु शरण भा०प्र०से०  
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

अवर सचिव-सह-  
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,  
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना ।

पटना, दिनांक-17/02/2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में राजकोषीय माध्यम से NHM अन्तर्गत Vaccine supplies made to State Government under Routine Immunization Programme (Reproductive and Child Health) under NHM मद में 60:40 के अनुपात में अनुमोदित केन्द्रांश मद के विमुक्त राशि रु० 3,61,77,55,000/- (रुपये तीन अरब एकसठ करोड़ सतहत्तर लाख पचपन हजार) के विरुद्ध राज्यांश मद की समानुपातिक कुल राशि रु० 2,41,18,36,667/- (रुपये दो अरब एकतालीस करोड़ अट्ठारह लाख छत्तीस हजार छः सौ सड़सठ) मात्र Kind Grants under NHM मद में व्यय निमित्त आवंटन ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सबध में राज्य स्वास्थ्य समिति का पत्रांक-7629 दिनांक-05.02.2026 द्वारा भारत सरकार से निर्गत आवंटनादेश के आलोक में NHM अन्तर्गत Vaccine supplies made to State Government under Routine Immunization Programme (Reproductive and Child Health) under NHM मद में केन्द्रांश मद की राशि रु० 3,61,77,55,000/- (रुपये तीन अरब एकसठ करोड़ सतहत्तर लाख पचपन हजार) के विरुद्ध राज्यांश मद की समानुपातिक कुल राशि रु० 2,41,18,36,667/- (रुपये दो अरब एकतालीस करोड़ अट्ठारह लाख छत्तीस हजार छः सौ सड़सठ) मात्र अर्थात् कुल रु० 6,02,95,91,667/- (रुपये छः अरब दो करोड़ पंचानवे लाख एकानवे हजार छः सौ सड़सठ) मात्र में से वर्तमान में राज्यांश मद की समानुपातिक कुल राशि रु० 2,41,18,36,667/- (रुपये दो अरब एकतालीस करोड़ अट्ठारह लाख छत्तीस हजार छः सौ सड़सठ) मात्र Kind Grants under NHM मद में Virtual Allotment के माध्यम से उपलब्ध करायी जाती है ।

2- राज्य स्वास्थ्य समिति के उक्त पत्र के प्रसंग में भारत सरकार के राजकोषीय माध्यम से आवंटनादेश द्वारा उपलब्ध करायी गयी राशि की विवरणी निम्नवत् है :-

17.2.26.

| STATE HEALTH SOCIETY, BIHAR  |  |          |           |                             |                         |            |
|--|--|----------|-----------|-----------------------------|-------------------------|------------|
| Details of Fund received from Govt. of India OF Kind Grant (2025-26) |  |          |           |                             |                         |            |
| Sl. No   | Vaccine Supplies made to state Governments under Routine Immunization Programme (Reproductive and Child Health) under NHM during 2025-26 | Date     | Component | Amount (Central Shares-60%) | Amount State Shares-40% | Total      |
| 1  | T-13020/01/2022-IMM(001)   | 20.05.25 | GEN       | 356097000                   | 237398000               | 593495000  |
| 2  | T-13020/01/2022-IMM(002)   | 20.05.25 | SC        | 68416000                    | 45610667                | 114026667  |
| 3  | T-13020/01/2022-IMM(003)   | 20.05.25 | ST        | 5504000                     | 3669333                 | 9173333    |
| 4  | T-11030/01/2013-CC&V(Pt II)-Part(1)-010  | 21.05.25 | GEN       | 29896000                    | 19930667                | 49826667   |
| 5  | T-11030/01/2013-CC&V(Pt II)-Part(1)-011  | 21.05.25 | SC        | 5744000                     | 3829333                 | 9573333    |
| 6  | T-11030/01/2013-CC&V(Pt II)-Part(1)-012  | 21.05.25 | ST        | 462000                      | 308000                  | 770000     |
| 7  | T-13020/01/2022-IMM(019)   | 29.05.25 | GEN       | 280902000                   | 187268000               | 468170000  |
| 8  | T-13020/01/2022-IMM(020)   | 29.05.25 | SC        | 53969000                    | 35979333                | 89948333   |
| 9  | T-13020/01/2022-IMM(021)   | 29.05.25 | ST        | 4342000                     | 2894667                 | 7236667    |
| 10   | T-13020/01/2022-IMM(028)   | 18.07.25 | GEN       | 182861000                   | 121907333               | 304768333  |
| 11   | T-13020/01/2022-IMM(029)   | 18.07.25 | SC        | 35132000                    | 23421334                | 58553334   |
| 12   | T-13020/01/2022-IMM(030)   | 18.07.25 | ST        | 2826000                     | 1884000                 | 4710000    |
| 13   | T-13020/01/2022-IMM(037)   | 06.10.25 | GEN       | 358130000                   | 238753333               | 596883333  |
| 14   | T-13020/01/2022-IMM(038)   | 06.10.25 | SC        | 68806000                    | 45870667                | 114676667  |
| 15   | T-13020/01/2022-IMM(039)   | 06.10.25 | ST        | 5536000                     | 3690667                 | 9226667    |
| 16   | T-11030/01/2013-CC&V(Pt II)-Part(1)-046  | 13.10.25 | GEN       | 51245000                    | 34163333                | 85408333   |
| 17   | T-11030/01/2013-CC&V(Pt II)-Part(1)-047  | 13.10.25 | SC        | 9845000                     | 6563333                 | 16408333   |
| 18   | T-11030/01/2013-CC&V(Pt II)-Part(1)-048  | 13.10.25 | ST        | 792000                      | 528000                  | 1320000    |
| 19   | T-11030/01/2013-CC&V(Pt II)-Part(1)-055  | 14.10.25 | GEN       | 248169000                   | 165446000               | 413615000  |
| 20   | T-11030/01/2013-CC&V(Pt II)-Part(1)-056  | 14.10.25 | SC        | 47680000                    | 31786667                | 79466667   |
| 21   | T-11030/01/2013-CC&V(Pt II)-Part(1)-057  | 14.10.25 | ST        | 3836000                     | 2557333                 | 6393333    |
| 22   | No.Z.28015/347/2018-TB   | 22.10.25 | ST        | 807000                      | 538000                  | 1345000    |
| 23   | No.Z.28015/347/2018-TB   | 22.10.25 | SC        | 48902000                    | 32601333                | 81503333   |
| 24   | No.Z.28015/347/2018-TB   | 22.10.25 | GEN       | 68457000                    | 45638000                | 114095000  |
| 25   | No.Z.28015/347/2018-TB   | 22.10.25 | GEN       | 31897000                    | 21264667                | 53161667   |
| 26   | No.Z.28015/347/2018-TB   | 22.10.25 | GEN       | 87686000                    | 58457333                | 146143333  |
| 27   | T-13020/01/2022-IMM(064)   | 11.11.25 | GEN       | 386659000                   | 257772667               | 644431667  |
| 28   | T-13020/01/2022-IMM(065)   | 11.11.25 | SC        | 74287000                    | 49524667                | 123811667  |
| 29   | T-13020/01/2022-IMM(066)   | 11.11.25 | GEN       | 5977000                     | 3984667                 | 9961667    |
| 30   | No.Z.28015/347/2018-TB(Pt.)  | 10.12.25 | SC        | 157300000                   | 104866667               | 262166667  |
| 31   | No.Z.28015/347/2018-TB(Pt.)  | 10.12.25 | ST        | 270772000                   | 180514667               | 451286667  |
| 32   | T-13020/01/2022-IMM(083)   | 18.12.25 | ST        | 4682000                     | 3121333                 | 7803333    |
| 33   | T-13020/01/2022-IMM(082)   | 18.12.25 | SC        | 58191000                    | 38794000                | 96985000   |
| 34   | T-13020/01/2022-IMM(081)   | 18.12.25 | GEN       | 302876000                   | 201917333               | 504793333  |
| 35   | T-13020/01/2022-IMM-Part(1)-(075)  | 19.12.25 | ST        | 3828000                     | 2552000                 | 6380000    |
| 36   | T-13020/01/2022-IMM-Part(1)-(074)  | 19.12.25 | SC        | 47582000                    | 31721333                | 79303333   |
| 37   | T-13020/01/2022-IMM-Part(1)-(073)  | 19.12.25 | GEN       | 247662000                   | 165108000               | 412770000  |
|  | Total  |          |           | 3617755000                  | 2411836667              | 6029591667 |

**केन्द्रांश मद :-**

|        |                  |
|--------|------------------|
| GEN-   | 2,63,85,14,000/- |
| SC-    | 67,58,54,000/-   |
| ST-    | 30,33,87,000/-   |
| TOTAL- | 3,61,77,55,000/- |

**राज्यांश मद :-**

|        |                  |
|--------|------------------|
| GEN-   | 1,75,90,09,333/- |
| SC-    | 45,05,69,334/-   |
| ST-    | 20,22,58,000/-   |
| TOTAL- | 2,41,18,36,667/- |

3- उक्त परिप्रेक्ष्य में वित्तीय वर्ष 2025-26 में राजकोषीय माध्यम से Kind Grants under NHM अन्तर्गत Vaccine supplies made to State Government under Routine Immunization Programme (Reproductive and Child Health) under NHM मद में केन्द्रांश मद की राशि रु० 3,61,77,55,000/- (रुपये तीन अरब एकसठ करोड़ सतहत्तर लाख पचपन हजार) के विरुद्ध राज्याश मद की समानुपातिक कुल राशि रु० 2,41,18,36,667/- (रुपये दो अरब एकतालीस करोड़ अट्ठारह लाख छत्तीस हजार छः सौ सडसठ) मात्र अर्थात् कुल रु० 6,02,95,91,667/- (रुपये छः अरब दो करोड़ पंचानवे लाख एकानवे हजार छः सौ सडसठ) मात्र में से वर्तमान में राज्याश मद की समानुपातिक कुल राशि रु० 2,41,18,36,667/- (रुपये दो अरब एकतालीस करोड़ अट्ठारह लाख छत्तीस हजार छः सौ सडसठ) मात्र विभागीय राज्यादेश संख्या- 85(7A) दिनांक-17/2/26 के द्वारा Kind Grants under NHM मद में व्यय निमित आवटन दी जाती है।

4- ज्ञातव्य हो कि वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निदेश के आलोक में वित्त विभाग से निर्गत पत्रांक-410 दिनांक-12.06.2025 के परिप्रेक्ष्य में SNA SPARSH Module में अधिसूचित केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के सफल क्रियान्वयन हेतु अधिसूचित स्कीमों को Component wise (General, SCSP & TSP) एक ही HoA (Head of Account) से केन्द्रांश एव राज्यांश के e-Payment हेतु दावा/विपत्र (Claim/Bill) बनाने की व्यवस्था की गई है।

5- राज्याश मद- राज्यांश मद की उक्त राशि की निकासी कडिका-4 के अनुरूप केन्द्रांश मद के अधोलिखित विपत्र कोडों में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा:-

(i) मांग संख्या-20 के मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उपमुख्य शीर्ष-03-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी, लघु शीर्ष-110-अस्पताल तथा औषधालय, उपशीर्ष- 0203- एन0आर0एच0एम0 सहित अर्बन स्वास्थ्य मिशन एवं राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, विपत्र कोड-20-2210031100203, पी0एफ0एम0एस0 कोड-4063, विषय शीर्ष-31 06- सहायक अनुदान-गैर वेतन मद में उपबंधित राशि रु० 6,00,00,00,000/- (रुपये छः अरब) मात्र में से रु० 1,75,90,09,333/- (रुपये एक अरब पचहत्तर करोड़ नब्बे लाख नौ हजार तीन सौ तैतीस) मात्र की राशि विकलनीय होगी।

(ii) मांग संख्या-20 के मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उपमुख्य शीर्ष-01- शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी, लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-उप शीर्ष-0204-एन0आर0एच0एम0 सहित अर्बन स्वास्थ्य मिशन एवं राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, विपत्र कोड-20-2210017890201, पी0एफ0एम0एस0 कोड-4063, विषय शीर्ष-31 06- सहायक अनुदान-गैर वेतन मद में उपबंधित कुल राशि रु० 3,00,00,00,000/- (रुपये तीन सौ करोड़) मात्र में से रु० 45,05,69,334/- (रुपये पैतालीस करोड़ पाँच लाख उनहत्तर हजार तीन सौ चौतीस) मात्र की राशि विकलनीय होगी।

(iii) मांग संख्या-20, मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उपमुख्य शीर्ष-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी, लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना- उप शीर्ष- 0219- एन0आर0एच0एम0 सहित अर्बन स्वास्थ्य मिशन एवं राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, विपत्र कोड-20-2210017960219, पी0एफ0एम0एस0 कोड-4063, विषय शीर्ष-31 06- सहायक अनुदान-गैर वेतन मद में बजट उपबंध से प्राप्त कुल राशि रु० 80,00,00,000/- (रुपये अस्सी करोड़) मात्र में से रु० 20,22,58,000/- (रुपये बीस करोड़ बाईस लाख अंठावन हजार) मात्र राशि विकलनीय होगी।

ly.

6- इस योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना एवं राज्य के सभी जिला स्वास्थ्य समिति, क्षेत्रीय कार्यक्रम प्रबंधन इकाई, सदर अस्पताल, अनुमंडलीय अस्पताल, रेफरल अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल Implimenting Agency के रूप में नामित है। उक्त केन्द्र प्रायोजित योजना हेतु उपरोक्त कार्यान्वयन एजेंसी को SNA-SPARSH के अन्तर्गत व्यय हेतु राशि की अधिसीमा दी जाती है।

7- इस राशि की निकासी राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग होंगे। इसी प्रकार राज्य के सभी जिला स्वास्थ्य समिति, क्षेत्रीय कार्यक्रम प्रबंधन इकाई, सदर अस्पताल, अनुमंडलीय अस्पताल, रेफरल अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी क्रमशः सिविल सर्जन, क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, अधीक्षक/उपाधीक्षक, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी (MOIC) एवं Superintendent होंगे। राज्य स्वास्थ्य समिति एवं अन्य समस्त कार्यान्वयन एजेंसियों हेतु नियत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ बिहार होंगे। राज्य स्वास्थ्य समिति एवं अन्य समस्त कार्यान्वयन एजेंसिया भारत सरकार एवं वित्त विभाग के पत्र सख्या-879 दिनांक-24.01.2025 के दिशा-निदेशों के अनुरूप विधिवत प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए राशि व्यय करेंगे।

8- योजना अंतर्गत केन्द्रांश एवं राज्यांश मद में स्वीकृत राशि का व्यय "Just-In-Time" release of Centrally Sponsored Schemes (CSS) funds through SNA SPARSH Model के अनुसार वित्त विभाग के पत्रांक-879, दिनांक-24.01.2025 सह पठित Department of Expenditure (PFMS Division), Ministry of Finance, Govt. of India के Office Memorandum F No 1(27)/PFMS/2020 दिनांक-13.07.2023 एवं Office Memorandum F No. 1(27)/PFMS/2020 दिनांक-07.08.2023 में अंकित प्रावधानों के आलोक में किया जायेगा।

9- ई-कुबेर प्लेटफॉर्म के माध्यम से केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की धनराशि "Just-In-Time" पर जारी करने हेतु SNA SPARSH Model (PFMS Division) के अंतर्गत विभाग द्वारा राज्य स्वास्थ्य समिति के माध्यम से खोले गये Drawing Account की विवरणी निम्नवत् है:-

| केन्द्र प्रायोजित स्कीम का नाम                                | खाता का नाम           | खाता सख्या  | आई0एफ0एस0कोड | बैंक का नाम |
|---|-----------------------|-------------|--------------|-------------|
| IM & Kind Grants (NHM)<br>(Scheme code-4063) on SNA<br>SPARSH | GOBHSPARSHBR348IMKIND | 01585501248 | RBISOCSSP01  | RBI         |


10- राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार वित्त नियमावली के प्रावधानों के आलोक में अपने संस्थान सहित क्षेत्रीय संस्थानों से विहित प्रपत्र (BTC-42A) में संकलित कर विभाग के माध्यम से उपयोगिता प्रमाण पत्र ससमय विधिवत् महालेखाकार, बिहार को उपलब्ध करायेंगे तथा उसकी एक प्रति महालेखाकार, भारत सरकार के कार्यालय को भी भेजेंगे। साथ ही, बिहार वित्तीय नियमावली के नियम-341 के अनुरूप अंकेक्षित लेखा विवरणी उपलब्ध कराने की भी अनिवार्यता रहेगी।

11- प्रस्ताव एवं प्रारूप में सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

12- राशि की निकासी राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के मामले में सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना एवं अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों के लिए संबंधित जिला स्तरीय कोषागार कार्यालय से की जायेगी ।

13- राशि की निकासी के मामले में महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

  
(शंभु शरण)

सरकार के अपर सचिव ।  
Rukmal

ज्ञापांक-7/बजट-46-12/2021(खण्ड-2)- 86 (7A) /स्वा0, पटना, दिनांक-17/09/2026

**प्रतिलिपि**—महालेखाकार (ले0 एंव ह0), बिहार, पटना/ योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/ वित्त विभाग (बजट शाखा) बिहार, पटना/कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा, पटना/वित्त प्रबंधक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना/ संबंधित सभी प्रमंडलीय आयुक्त/ संबंधित सभी जिला पदाधिकारी/संबंधित सभी सिविल सर्जन, क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, अधीक्षक/उपाधीक्षक, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी (MOIC) एवं Superintendent /कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना एवं अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों के लिए संबंधित जिला स्तरीय कोषागार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


**प्रतिलिपि**— सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

**प्रतिलिपि**— अपर सचिव एवं मिशन निदेशक, राज्य स्वास्थ्य मिशन (एन०एच०एम०), निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

**प्रतिलिपि**— अवर सचिव/प्रधान लेखा पदाधिकारी (Compilation Section), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, रूम नं०-331-सी., निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 को सूचनार्थ प्रेषित ।

**प्रतिलिपि**— उप निदेशक(ए०जे०एस०)/प्रधान लेखा पदाधिकारी (Compilation Section), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निदेशालय, रूम नं०-523-सी.विंग, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 को सूचनार्थ प्रेषित ।

**प्रतिलिपि**— माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/सभी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ/लेखा शाखा, स्वास्थ्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी- 07, 12/प्रशाखा के सभी सहायक/आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

  
सरकार के अपर सचिव ।  
Rukmal